झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प - 4143

विषयः– नगर प्रबंधकों के अधिकार, कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण।

दि०-29/07/16

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में जन सुविधा उपलब्ध कराने, शहरी विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन, निकायों को स्वाबलम्बी बनाने हेतु विभिन्न करों का संग्रहण एवं निकायों के बहुआयामी कार्यों के संपादन के निमित्त नगर प्रबंधकों से संविदाआधारित सेवाऐं प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है।

उक्त नगर प्रबंधकों को उत्कृष्ट चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित किया गया है एवं उन्हें उत्कृष्ट श्रेणी की In Service Training प्रदान की गयी है।

विभागीय समीक्षा के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में नगर प्रबंधकों की सहभागिता नहीं रहने एवं उन्हें समुचित सुविधा तथा महत्व प्रदान नहीं किये जाने के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता है एवं यह निकाय स्तर पर सरकारी कार्यों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।

2. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :

(क) नगर प्रबंधकों के अधिकार –

(I) नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–537 दिनांक 28.01.2016 द्वारा प्रत्येक नगर प्रबंधक को शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित कार्यो का वितरण किया गया है।

उक्त विषय से संबंधित सभी संचिकायें नगर प्रबंधकों के माध्यम से उपस्थापित की जायेंगी। इस क्रम में संबंधित नगर प्रबंधक के द्वारा 24 घंटों के भीतर ऐसी संचिका का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

4143 29/07/16

(II) नगर प्रबंधकों के पद सृजन से संबंधित संकल्प में प्रावधानित है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति के समय अनुमान्य वेतन के आधार पर नगर प्रबंधकों को मासिक संविदा राशि देय होगी।

उक्त के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के पदसोपान में नगर प्रबंधक का स्थान कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के ठीक नीचे होगा।

(III) नगर प्रबंधकों को शहरी स्थानीय निकायों के समस्त कार्यों का प्राधिकार (Authority) प्राप्त होगा एवं कार्यालय के अन्य सभी पदधारक उनके अधीनस्थ होंगे।

(IV) नगर प्रबंधकों को निकायों के समस्त कार्यों के संपादन के परिप्रेक्ष्य में संबंधित संचिकाओं में टिप्पणी अंकन करने एवं सुझाव देने का अधिकार होगा।

(V) शहरी स्थानीय निकायों के बोर्ड एवं वार्ड पर्षद की प्रत्येक बैठक में नगर प्रबंधकों की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी एवं उनके द्वारा उक्त बैठक के आयोजन में सक्रिय सहायता प्रदान की जायेगी।

(VI) नगर प्रबंधक के द्वारा शहरी स्थानीय निकाय की यथा–आवंटित सभी योजनाओं का निरीक्षण किया जायेगा तथा ससमय नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को एवं विभाग/निदेशालय को अभ्यावेदन की आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(VII) शहरी स्थानीय निकायों के आमंत्रित की जानेवाली सभी निविदाओं के निष्पादन में नगर प्रबंधकों की सहभागिता होगी।

(VIII) निकाय में कार्यों के निष्पादन में किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर, नगर प्रबंधकों को अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण पूछने का प्राधिकार होगा।

(IX) नगर प्रबंधकों को कार्यालय में बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जायेगी। उन्हें आलमीरा एवं अन्य वांछित फर्नीचर उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) नगर प्रबंधकों के कर्तव्य एवं दायित्व –

(I) नगर प्रबंधक उन सारी योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति जिम्मेवार होंगे, जो उन्हें आवंटित किये गये हैं।

(II) नगर प्रबंधक धृतियों क़ी संख्या एवं धृतिकर तथा अन्य विहित करों के संग्रहण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ताकि शहरी स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से सबल हो सकें।

(III) नगर प्रबंधक समय – समय पर निकायों में योजनाओं की प्रगति एवं राजस्व संग्रहण से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(IV) नगर प्रबंधक संबंधित निकाय में अनिवार्य रूप से अपना आवासन रखेंगे तथा ससमय कार्यालय में उपस्थित होंगे। साथ ही, अधीनस्थ कर्मियों की ससमय उपस्थिति का अनुश्रवण करेंगे।

(V) प्राधिकृत किये जाने पर नगर प्रबंधक विभाग एवं निदेशालय स्तर पर अपने कार्यों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 01/आरोप–25/2016/न0वि0आ0 4143 राँची, दिनांक : 29/07/16
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, e Gazettee नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 01/आरोप–25/2016/न0वि0आ0 4143 राँची, दिनांक : 29/07/16
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं हक), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 01/आरोप–25/2016/न0वि0आ0 4143 राँची, दिनांक : 29/07/16
प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त/सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/सभी नगर प्रबंधक, सभी शहरी स्थानीय निकाय/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।